GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 32
ANSWERED ON-06.12.2023

Reservation of seats for women in PRI

32. Shri Ryaga Krishnaiah:

Will the Minister of ***PANCHAYATI RAJ*** be pleased to state:

(a) the percentage of Panchayati Raj seats reserved for women which are vacant, in States with 50% reservation for women, for the fiscal 2019 to 2022, State-wise;

(b) the number of Elected OBC Women Representatives in the PRI from 2019 to 2022;

(c) whether there has been a dip in the number of Elected Women Representatives in PRIs, post-COVID;

(d) if so, details thereof, State-wise; and

(e) whether Government has taken any steps apart from 1/3 reservation of seats to improve participation of women in PRIs, and to address the issue of token representation, if so, details thereof and if not, reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 32 ANSWERED ON 06.12.2023 REGARDING "RESERVATION OF SEATS FOR WOMEN IN PRI".

(a) to (d) Article 243D of the Constitution of India provides not less than one-third reservation for women in Panchayati Raj Institutions (PRIs). However, 21 States and 2 Union Territories have gone even further and have made provisions, in their respective State Panchayati Raj Acts/Rules, for 50% reservation for women in PRIs. Reservation for women in PRIs is to be provided through the respective State Panchayati Raj Acts. Since this subject is in the purview of States, details in respect of PRIs like percentage of seats vacant or caste-based data of elected representatives or any analysis of dip in the number of elected women representatives post-COVID, are not maintained by the Ministry of Panchayati Raj.

Further, as the percentage of women representatives in Panchayats is constitutionally and statutorily determined, there seems to be no reason for any kind of reduction in the number of elected women representatives in PRIs, post-COVID.

(e) Government has been encouraging increased involvement of women in the functioning of Panchayats through active participation in the Gram Sabha meetings for preparation of Gram Panchayat Development Plans and various schemes being implemented by the Panchayats. This Ministry has issued advisories to States to facilitate holding of separate Ward Sabha and Mahila Sabha meetings prior to Gram Sabha meetings. Advisories have also been issued to States for enhancing the presence and participation of women in Gram Sabha and Panchayat meetings, allocation of Panchayat funds for women centric activities, combating the evil of women trafficking, female foeticide, child marriage etc.

*****

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 32
दिनांक 06.12.2023 को उत्तरार्थ

पीआरआई में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण

32. श्री रायगा कृष्णैया:

क्या ***पंचायती राज*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2019 से 2022 के लिए महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण वाले राज्यों में, महिलाओं के लिए आरक्षित पंचायती राज सीटों में से राज्य-वार कितने प्रतिशत सीटें रिक्त हैं;

(ख) वर्ष 2019 से 2022 तक पीआरआई में निर्वाचित अन्य पिछड़े वर्ग की महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या कोविड के पश्चात पीआरआई में निर्वाचित होने वाली महिला प्रतिनिधियों की संख्या में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पीआरआई में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करने और सांकेतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे का समाधान करने हेतु 1/3 सीटों के आरक्षण के अतिरिक्त कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'पीआरआई में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण' के संबंध में दिनांक 06-12-2023 को उत्तरार्थ राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 32 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ) भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। हालाँकि, 21 राज्य और 2 संघ राज्य-क्षेत्र इससे भी आगे बढ़ गए हैं और अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से प्रदान किया जाना है। चूँकि यह विषय राज्य के दायरे में है, पंचायती राज संस्थाओं के ब्यौरे जैसे कि रिक्त सीटों का प्रतिशत या निर्वाचित प्रतिनिधियों के जाति-आधारित आंकड़े या कोविड के पश्चात निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में गिरावट का कोई विश्लेषण, का रख-रखाव पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है।

इसके अलावा, क्योंकि पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत संवैधानिक और वैधानिक रूप से निर्धारित है, इसलिए कोविड के बाद पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में किसी भी प्रकार की गिरावट का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

(ङ) सरकार ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की तैयारी के लिए ग्राम सभा की बैठकों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है। इस मंत्रालय ने ग्राम सभा बैठकों से पहले अलग-अलग वार्ड सभा और महिला सभा की बैठकें आयोजित करने की सुविधा देने के लिए राज्यों को परामर्शिकाएं जारी की गईं है। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि का आवंटन करने, महिलाओं की तस्करी, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि बुराईयों को दूर करने के लिए भी राज्यों को परामर्शिकाएं जारी की गईं है।

*****

SHRI RYAGA KRISHNAIAH: Respected Chairman, Sir, now the Supreme Court of India has given a judgement that SC/ST/OBC reservation should not cross the limit of 50 per cent. In response to this judgement, in almost all States, the OBC reservation was decreased from 34 to 18 to 20 per cent. But the Central Government has not taken any steps to increase the reservation as per the population of the OBCs. The Andhra Pradesh and the Telangana Government also lowered the reservation from 34 per cent to 22 per cent on the basis of the Supreme Court judgement. But, the Andhra Pradesh Government has given an additional 20 per cent on behalf of the Party. But, no other State in India has increased the reservation on behalf of their parties. The only permanent answer to this matter is this. There is a need to amend the Constitution to provide population-based reservation. At the time of 73rd and 74th Amendments to the Constitution, some States, particularly, Uttaranchal, Jharkhand and Chhattisgarh were not having OBC list. Now, all the States are having the OBC list. So, I request the Government to amend the Constitution and provide the OBC reservation on the basis of population in local body elections.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 243(घ) के तहत आरक्षण दिया गया है। एक-तिहाई से कम आरक्षण न हो, इसमें ऐसा प्रावधान है, लेकिन 21 राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने निर्णय किया है कि उन्होंने 50 प्रतिशत तक आरक्षण को बढ़ाया है। सम्माननीय सदस्य ने संविधान में संशोधन करके ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के बारे में कहा है। फिलहाल इस मंत्रालय के माध्यम से इस तरह का कोई भी प्रस्ताव हमारे विचाराधीन नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; hon. Member.

SHRI RYAGA KRISHNAIAH: Sir, there is a ceiling or cap for educational and employment reservation. It is purely political reservation. Why is the Government not taking any steps for population-based reservation in local body elections? There is no political reservation....

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Hon. Minister.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : सभापति महोदय, महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण है और उसी के तहत ओबीसी को कितना आरक्षण मिले, एस.सी./एस.टी. को कितना आरक्षण मिले, इसी में इसका प्रावधान है। अभी माननीय सदस्य ने पूछा है और इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Mr. P. Wilson.

SHRI P. WILSON: Mr.Chairman, Sir, so far as OBC reservations in local bodies are concerned, the Supreme Court says, 'Unless you have an empirical data, you can't give reservation.' Is it not against Constitution? What steps have you taken to see that the Constittuion is amended and the reservation to OBCs in local bodies is given without any hassle or without such requirement? Number two, why don't you amend Articles 15 and 16 of the Constitution and provide reservations for the Other Backward Classes in accordance with their population?

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : सभापति महोदय, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार को अपने स्तर पर ओबीसी का आरक्षण कितना रखना है, इसका केन्द्र सरकार से कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 243 (घ) के तहत आरक्षण का जो प्रावधान प्रस्तावित है, उसी के तहत केन्द्र सरकार निर्णय करती है। जैसे महाराष्ट्र में अभी जो इश्यू हुआ, कहीं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ओबीसी के आरक्षण के कारण नहीं हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक empirical data नहीं मिलता, तब तक हम 50 प्रतिशत के ऊपर आरक्षण देने में सहमति नहीं दे सकते। इसीलिए वहां पर भी चुनाव नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर इस सब्जेक्ट में राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय करे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI P. WILSON: Why don't you amend the Constitution? ***...(Interruptions)...***

MR. CHAIRMAN: Mr. Wilson, you are a distinguished senior advocate. If you go through constitutional prescriptions, in Parts 9 and 9A, you will find enough space also available to the States. Come with a suggestion. I am open to having a discusison on this. Avail the rules. ***...(Interruptions)...*** Shri Neeraj Dangi; the fourth supplementary.

श्री नीरज डांगी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों और कार्यक्रमों का विवरण क्या है एवं पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में पंचायतों के लिए हुए चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : सभापति महोदय, मैंने जैसा पहले भी कहा है कि देश में ऐसे 21 राज्य हैं, जिन्होंने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जब से इस देश में मोदी जी की सरकार आई है, तब से लेकर आज तक मंत्रालय के माध्यम से कई प्रयास किए गए हैं। आज की तारीख में मैं बताऊंगा तो राज्य की अलग-अलग जगहों पर हम लोगों ने महिलाओं को सक्षम करने के लिए, महिलाओं की कांफ्रेंस करके, वे जैसे ही चुनकर आती हैं, उनके लिए छह महीने के अंदर ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया है। आज हमारी बहनें इतनी सक्षम हो

गई हैं कि जब हमने विज्ञान भवन में आइकॉनिक वीक का सेलिब्रेशन किया था, तो वहां पर लगभग 1,500 साथी आए थे, उनमें से 800 हमारी बहनें थीं। उन्होंने अपने विचार वहां पर रखे थे। मैं भी एक सरपंच रह चुका हूं। मुझे गांव में भाषण करने के लिए भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज हमारी बहनें इतनी सक्षम हुई हैं कि विज्ञान भवन में आकर वे अपने अनुभव शेयर करती हैं और उन्होंने अपने गांव का विकास किस तरह से किया है, उसके बारे में बताती हैं। यह जो सक्षमता उनमें आई है, उसके लिए निश्चित तौर पर हमारे मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए हैं, उसी के कारण आई है। यह मैं खाली राजनीतिक तौर पर नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो हमारी निर्वाचित बहनें हैं, उनको आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम करने के लिए 7,113 ब्लॉक्स में लगभग 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। उसमें से 9 करोड़, 90 लाख परिवारों को रोज़गार से जोड़ने का काम महिलाओं को सक्षम करने की वजह से संभव हुआ है। इसी तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव में महिला सरपंचों का जो योगदान है, वह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा योगदान है। 17 अप्रैल, 2023 को हमारी सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, जो कि एक महिला हैं, उनके हाथों से विज्ञान भवन में महिला सरपंचों को पुरस्कार प्रदान किए गए - वहाँ सभी सरपंचों को पुरस्कार दिए गए थे और जिन 42 लोगों को पुरस्कार दिए गए थे, उनमें से 18 हमारी महिला सरपंच थीं। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसी तरह से महिलाओं को सक्षम करने के लिए मंत्रालय के अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग सब्जेक्ट थे। जैसे sustainable development goal है, वह अचीव करने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए मंत्रालय का प्रयास चालू है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary - Shrimati Vandana Chavan.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Sir, my original question was regarding training, but my colleague has already asked it. Let me ask another question. We talk a lot about people's participation in local self-governance. Talking especially about *Gram Sabhas*, it is expected that a women's *Gram Sabha* should specially be organized. It is seen that at several places that doesn't happen. So, what are the efforts that the Government is making to make sure that not just elected representatives, but women as an entity are actually made to participate in the governance process? Are self-help groups being considered for this?

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्या ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें महिलाओं की जन भागीदारी इतनी बढ़ गई है कि कहीं-कहीं तो राज्यों ने कानून भी बनाए हैं। कई जगहों पर तो उनकी फैमिली के लोग इसमें इंट्रस्ट लेकर हस्तक्षेप करते थे, लेकिन अब हमारी बहनें बहुत सक्षम हो गई हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आगे आने वाले दिनों में उन्हें ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी हम लोगों ने हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में यह अनिवार्य कर दिया है कि साल में 6 ग्राम सभाएं हों और उनमें से महिलाओं की एक स्पेशल ग्राम

सभा हो। महिलाओं को सक्षम करने के लिए और इसमें महिलाओं की जन भागीदारी बढ़े - इसके लिए मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी तो सरपंच रह चुके हैं। मैं सदन में बताना चाहूंगा कि अब बड़ा बदलाव आया है। जब शुरुआत हुई थी, तो कमेटी में पूछते थे कि आप कौन हैं और वह व्यक्ति कहता था कि मैं सरपंचपति हूं, मैं प्रधानपति हूं, मैं जिला प्रमुखपति हूं। That thing is over now. Now,next Question. Q.No.33.